

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 386]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त 2013—भाद्र 7, शक 1935

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्र. एफ. 1-7-2013-बयालीस-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पोलिटेकनिक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भर्ती) नियम, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-एक में, शीर्षक “व्याख्याता” में, अनुक्रमांक 17 के सामने कालम (5) में, विद्यमान प्रविष्टि “8000—13500 (ए आई सी टी ई)” के नीचे, प्रविष्टि “10000—15200 (जो राज्य वेतनमान ले रहे हैं)” अन्तः स्थापित की जाए.

No. F 1-7-2013-XLII-(1).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Technical Education Polytechnic College (Teaching Cadre) Service (Recruitment) Rules, 2004, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-I, in the heading “Lecturer”, against serial number 17, in column (5), below the existing entry “8000—13500 (AICTE)”, the entry “10000—15200 (who are drawing the State Pay Scale)” shall be inserted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मांदलिया, उपसचिव.